



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 457 ]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 2000/आषाढ़ 19, 1922

No. 457]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10, 2000/ASADHA 19, 1922

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2000

का. आ. 651 (अ).—जीवजंतु कूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 5क की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड में (1) श्री गिरिधर गमांग, (2) श्री आदित्यनाथ, (3) श्री प्रसन्ना आचार्य तथा (4) प्रो. सैफुद्दीन सोज जो दिनांक 27 अप्रैल, 1999 को 13वीं लोक सभा के भंग होने पर इस बोर्ड के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर निम्नलिखित संसद सदस्यों (लोक सभा) के नाम अधिसूचित करती है और उस प्रयोजन से तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 495(अ), दिनांक 9 जून, 1998 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या (25) से (28) तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या तथा प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

- “(25) श्री प्रसन्ना आचार्य  
121, वी.पी. हाउस, नई दिल्ली-1
- (26) श्री योगी आदित्य नाथ  
123—125, नार्थ एवेन्यू  
नई दिल्ली-110001
- (27) श्रीमती प्रेनीत कौर,  
123, जोर बाग, नई दिल्ली-3
- (28) डा. राम लखन सिंह,  
184, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-11

- धारा 5 (1)(1)  
के अंतर्गत चुने गए सदस्य
- धारा 5(1)(1) के अंतर्गत  
चुने गए सदस्य
- धारा 5(1)(i) के अंतर्गत चुने गए  
सदस्य
- धारा 5(1)(i) के अंतर्गत चुने गए  
सदस्य।”

[सं. 1/15/97-ए. डब्ल्यू.]

धर्मेन्द्र देव, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन करने संबंधी अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्या का.आ. 495(अ), दिनांक 9 जून, 1998 के तहत प्रकाशित की गई और उसके बाद सं. का.आ. 788(अ), दिनांक 7 सितम्बर, 1998, का.आ. 934(अ), दिनांक 29 अक्टूबर, 1998 तथा का.आ. 1159(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1999 के तहत संशोधित की गई।

**MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2000

**S.O. 651(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 5A of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960), the Central Government hereby notifies the names of the following Members of Parliament (Lok Sabha) as the Members on the Animal Welfare Board of India in place of (1) Shri Giridhar Gamang (2) Shri Adityanath (3) Shri Prasanna Acharya and (4) Prof. Saiffudin Soz, who were ceased to be Members on this Board on the dissolution of the 13th Lok Sabha on 27th April, 1999, and for that purpose makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 495(E), dated the 9th June, 1998, namely :—

In the said notification, for serial numbers (25) to (28) and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely :—

“(25)	Shri Prasanna Acharya 121, V.P. House, New Delhi-110001	Member elected under section 5(1)(i)
(26)	Shri Yogi Aditya Nath 123-125, North Avenue, New Delhi-110001	Member elected under section 5(1)(i)
(27)	Smt. Preneet Kaur 123, Jor Bagh, New Delhi-110003	Member elected under section 5(1)(i)
(28)	Dr. Ram Lakhani Singh 184, South Avenue, New Delhi-110011.	Member elected under section 5(1)(i)”

[No. 1/15/97-AW]

DHARMENDRA DEO, Jt. Secy.

**Note :** The notification reconstituting the Animal Welfare Board of India was published in the Gazette of India vide number S.O. 495(E), dated the 9th June, 1998 and subsequently amended vide number S.O. 788(E), dated the 7th September, 1998, S.O. 934(E), dated 29th October, 1998 and S.O. 1159(E), dated the 16th November, 1999.